मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVII अंक 4 जुलाई 2021

एमसीआईआर

I. विनियमन

ऋण और अग्रिम संबंधी विनियामकीय प्रतिबंध

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. विनियमन	1
II. भुगतान और निपटान प्रणाली	2
III. वित्तीय बाजार विनियमन	2
IV. वित्तीय समावेशन	3
V. मुद्रा प्रबंधन	3
VI.आरबीआई बुलेटिन	3
VII.आरबीआई के शीर्ष प्रबंधन का भाषण	4
VIII.वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	4

रिज़र्व बैंक ने 23 जुलाई 2021 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों और रिश्तेदार निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम पर नियामक प्रतिबंधों को निम्नानुसार संशोधित किया:

i) अन्य बैंकों के किसी भी निदेशक को दिए गए व्यक्तिगत ऋण के लिए, रु. 25,00,000 की सीमा को संशोधित कर रु.5,00,000,00 कर दिया गया है।

ii) जब तक निदेशक मंडल/प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है, बैंकों द्वारा निम्न को कुल पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक के ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं करने चाहिए-

(ए) उनके अपने अध्यक्षों/प्रबंध निदेशकों या अन्य निदेशकों के पति/पत्नी और नाबालिग/आश्रित बच्चे के अलावा कोई रिश्तेदार;

(बी) अन्य बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के पति/पत्नी और नाबालिग/आश्रित बच्चों के अलावा अन्य कोई रिश्तेदार;

(सी) कोई भी फर्म जिसमें पति/पत्नी के अलावा कोई भी रिश्तेदार और नाबालिग/ आश्रित बच्चे जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में उल्लेख किया गया है, भागीदार या गारंटर के रूप में रुचि रखते हैं; तथा

(डी) कोई भी कंपनी जिसमें पति/पत्नी के अलावा कोई भी रिश्तेदार और नाबालिग/ आश्रित बच्चे जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में उल्लेख किया गया है, एक प्रमुख शेयरधारक या एक निदेशक या एक गारंटर के रूप में रुचि रखता है या नियंत्रण में हो।

किसी निदेशक के रिश्तेदार को भी किसी कंपनी में दिलचस्पी रखने वाला माना जाएगा, जो कि अनुषंगी या धारक कंपनी है, यदि वह एक प्रमुख शेयरधारक है या संबंधित धारक या अनुषंगी कंपनी को नियंत्रित करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

संपादक से नोट

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा जुलाई महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश

रिज़र्व बैंक ने 9 जुलाई 2021 को दिनांक 23 अप्रैल 2015 के संवेदनशील पदों या परिचालन क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश संबंधी अनुदेशों को संशोधित किया, जो 9 जुलाई 2021 से छह महीने के भीतर लागू है। संशोधित अनुदेश इस प्रकार हैं:

(i) एक विवेकपूर्ण परिचालन जोखिम प्रबंधन उपाय के रूप में, बैंक एक 'अनिवार्य अवकाश' नीति लागू करेंगे, जिसमें संवेदनशील पदों या परिचालन के क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कुछ दिनों (10 कार्य दिवसों से कम नहीं) के लिए, इन कर्मचारियों को कोई पूर्व सूचना दिए बिना, प्रत्येक वर्ष एक ही स्पेल में, छुट्टी पर भेजा जाएगा जिससे आश्चर्य का तत्व बना रहेगा।

(ii) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि 'अनिवार्य अवकाश' पर कर्मचारियों की आंतरिक/कॉर्पोरेट ईमेल, जो सामान्य उद्देश्यों के लिए सभी कर्मचारियों के लिए आम तौर पर उपलब्ध है, के अलावा उनके कार्य जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी अन्य भौतिक या आभासी संसाधनों की उपलब्धता उन्हें ना हो।

(iii) बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, 'अनिवार्य अवकाश' आवश्यकताओं के तहत कवर किए जाने वाले संवेदनशील पदों की एक सूची तैयार करेगा और सूची की समीक्षा आवधिक आधार पर की जाएगी। इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा पर्यवेक्षी प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

तदनुसार, संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश संबंधी पूर्व के निर्देश निरस्त किए जाते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

अतिदेय देशी जमा पर ब्याज

रिज़र्व बैंक ने 2 जुलाई 2021 को सूचित किया कि परिपक्व होने पर देय ब्याज दर और मीयादी जमाराशि(टीडी) की अदत्त आय, बचत बैंक खाता पर लागू दर या परिपक्व टीडी पर संविदागत ब्याज दर, जो भी कम हो, के समान लागू होगी। तदनुसार, जमाराशियों की ब्याज दर पर दिनांक 3 मार्च 2016 के मास्टर निदेश और दिनांक 12 मई 2016 के सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर से संबंधित खंडों में संशोधन किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

रिज़र्व बैंक ने 29 जुलाई 2021 को आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) द्वारा सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के उद्देश्य से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम और उनकी न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग जारी की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ब्याज समतुल्यीकरण योजना

रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई 2021 को अधिसूचित किया कि ब्याज समतुल्यीकरण योजना के तहत मौजूदा परिचालन अनुदेश 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगे। यह भारत सरकार द्वारा पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना को, उसी दायरे और कवरेज के साथ, और तीन महीने, अर्थात 30 सितंबर 2021 तक, के लिए विस्तार को अपना अनुमोदन देने के बाद किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सीआरआर और एसएलआर पर मास्टर निदेश

रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 जुलाई 2021 को नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पर मास्टर निदेश जारी किया। मास्टर निदेश को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रख दिया गया है और इसे यहां क्लिक करके देखा जा सकता है।

शेयर पूंजी और प्रतिभूतियां - यूसीबी

रिज़र्व बैंक ने 14 जुलाई 2021 को शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों के निर्गम और विनियमन-प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर मसौदा परिपत्र जारी किया। मसौदा परिपत्र पर यूसीबी, क्षेत्र के प्रतिभागियों और अन्य इच्छुक पक्षों से 31 अगस्त 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। राज्य सहकारी बैंकों, जिला ऋण सहकारी बैंकों, ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिभागियों और अन्य इच्छुक पक्षों से भी टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं। मसौदा परिपत्र पर प्रतिक्रिया ईमेल द्वारा cbcap@rbi.org.in पर भेजी जा सकती है, जिसका विषय "शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों-प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, के निर्गम और विनियमन पर मसौदा परिपत्र पर प्रतिक्रिया" है। विस्तार पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

रिज़र्व बैंक ने 7 जुलाई 2021 को शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 15 जून 2021 की अधिसूचना के माध्यम से शामिल करने की घोषणा की और दिनांक 3-9 जुलाई 2021 के भारत का राजपत्र के भाग - III, खंड - 4 में प्रकाशित किया। । विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. भुगतान और निपटान प्रणाली

डिजिटल भुगतान सूचकांक - मार्च 2021

रिज़र्व बैंक ने 28 जुलाई 2021 को डिजिटल भुगतान सूचकांक-मार्च 2021 के भाग के रूप में आंकड़ो की घोषणा की। मार्च 2020 में 207.84 के तुलना में मार्च 2021 में सूचकांक 270.59 रही जिसे 1 जनवरी 2021 को सूचकांक आरंभ करते समय घोषित किया गया। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतानों को तेजी से अपनाने और गहनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सूचकांक में महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रदर्शन किया है। इसकी स्थापना के बाद से सूचकांक श्रृंखला इस प्रकार है:

अवधि	आरबीआई-डीपीआई सूचकांक
मार्च 2018 (Base)	100
मार्च 2019	154.47
सितंबर 2019	174.49
मार्च 2020	207.84
सितंबर 2020	217.74
मार्च 2021	270.59

केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली

रिज़र्व बैंक ने 28 जुलाई 2021 को घोषणा की कि अधिकृत गैर-बैंक भुगतान सेवा प्रदाता, अर्थात, प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, कार्ड नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) में प्रत्यक्ष सदस्य के रूप में भाग लेने के पात्र हैं। यह भागीदारी 28 जुलाई 2021 को गैर-बैंकों के लिए सीपीएस तक पहुंच पर रिज़र्व बैंक के परिपत्र में निर्धारित दृष्टिकोण पर आधारित होगी। रिज़र्व बैंक ने 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति की घोषणा के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित सीपीएस अर्थात् आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली में गैर-बैंकों की भागीदारी को चरणबद्ध तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा।

तदनुसार, पहले चरण में, अधिकृत गैर-बैंक पीएसपी, सीपीएस में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

मास्टरकार्ड एशिया पर पर्यवेक्षी कार्रवाई

रिज़र्व बैंक ने 14 जुलाई 2021 को मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लि. (मास्टरकार्ड) पर 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) को शामिल करने हेतु प्रतिबंध लगा दिया। काफी समय व्यतीत होने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, मास्टरकार्ड एशिया को भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते पाया गया। इस आदेश का मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मास्टरकार्ड सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों का पालन करने की सूचना देगा। मौजूदा विनियमों के अनुसार, सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि छह महीने की अवधि के भीतर उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित संपूर्ण डेटा केवल भारत में एक सिस्टम में संग्रहीत किया जाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. वित्तीय बाजार विनियमन

लिबोर (एलआईबीओआर) की समाप्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 08 जुलाई 2021 को बैंकों और अन्य रिज़र्व बैंक-विनियमित संस्थाओं को लंदन अंतरबैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) से पारगमन के लिए तैयारियों की आवश्यकता पर बल देते हुए एक सूचना जारी की। इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रमुख कदमों में शामिल हैं:

i) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को, ऐसे नए वित्तीय अनुबंध, जो लिबोर को एक बेंचमार्क के रूप में संदर्भित करते हैं, निष्पादित करने से रोकने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके बजाय जितना व्यवहार्य हो सके और किसी भी हाल में 31 दिसंबर 2021 तक,किसी भी व्यापक रूप से स्वीकृत वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) का उपयोग किया जा सकता है।

ii) बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आग्रह किया जा रहा है कि वे सभी वित्तीय अनुबंधों, जो लिबोर को संदर्भित करते है और जिसकी परिपक्वता लिबोर सेटिंग्स की घोषित समाप्ति तिथि के बाद होती है, में मजबूत फॉलबैक क्लॉज शामिल करें।

iii) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि 31 दिसंबर 2021 से पहले दर्ज किए गए नए अनुबंध जो लिबोर को संदर्भित करते हैं और जिसकी परिपक्वता लिबोर समाप्त होने की तारीख के बाद होती है या गैर-प्रतिनिधिक बन जाता है, में फॉलबैक क्लॉज शामिल करें।

iv) बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (एमआईएफ़ओआर) एक बेंचमार्क, जो लिबोर को संदर्भित करता है, का उपयोग जितना व्यवहार्य हो सके और किसी भी स्थिति में 31 दिसंबर 2021 तक बंद कर दें। इस संदर्भ में, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने 15 जून 2021 से दैनिक समायोजित एमआईएफ़ओआर दरें और 30 जून 2021 से संशोधित एमआईएफ़ओआर दरों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया है जिसे क्रमशः पुराने अनुबंधों और नए अनुबंधों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

v) लिबोर / मिफोर को संदर्भित करने वाले अनुबंध आमतौर पर 31 दिसंबर 2021 के बाद केवल 31 दिसंबर 2021 को या उससे पहले किए गए लिबोर / मिफोर संदर्भित अनुबंधों से उत्पन्न जोखिमों के प्रबंधन के उद्देश्य से किए जा सकते हैं।

रिज़र्व बैंक लिबोर से पारगमन के संबंध में विकसित वैश्विक और घरेलू स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और एक सुचारु पारगमन सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक रूप से सक्रिय रूप से कदम उठाएगा।

वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए), यू के ने 05 मार्च 2021 को एक प्रेस वक्तव्य में घोषित किया कि किसी भी व्यवस्थापक द्वारा सभी लिबोर सेटिंग्स को प्रदान करना बंद किया जाए या अब वे निम्नानुसार प्रतिनिधिक नहीं होंगी:

- ❑ सभी पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, स्विस फ्रैंक और जापानी येन सेटिंग्स और 1-सप्ताह और 2-माह यूएस डॉलर सेटिंग्स के मामले में 31 दिसंबर 2021 के तुरंत बाद; तथा
- ❑ शेष अमेरिकी डॉलर सेटिंग्स के मामले में, 30 जून 2023 के तुरंत बाद।

लिबोर से पारगमन और विभिन्न क्षेत्राधिकारों में विकसित एआरआर को अपनाना एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे संभावित ग्राहक सुरक्षा, प्रतिष्ठा और मुकदमेबाजी जोखिमों के प्रबंधन के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा और लचीलेपन में व्यवधान से बचने और अर्थव्यवस्था की समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए सावधानीपूर्वक तैयार करने की आवश्यकता है। अगस्त 2020 में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने लिबोर एक्सपोज़र, जो लिबोर की समाप्ति के बाद परिपक्व होगें, का आकलन करना, और साथ ही लिबोर पारगमन से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदम के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना तैयार करने के लिए सूचित किया।

रिज़र्व बैंक ने लिबोर पारगमन के लिए एक विस्तृत रोड मैप भी तैयार किया है। विस्तृत रोडमैप दस्तावेज़ यहां क्लिक करके देखा जा सकता है।

IV. वित्तीय समावेशन

एमएसएमई- नई परिभाषा

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2021 को घोषित किया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी सीमित उद्देश्य के लिए खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल करने का निर्णय किया है। नई शामिल संस्थाओं को निम्नलिखित एनआईसी कोड और उसके साथ उल्लेखित गतिविधियों के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत होने की अनुमति दी जाएगी:

45	थोक और खुदरा व्यापार तथा मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत
46	मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों को छोड़कर थोक व्यापार
47	मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों को छोड़कर खुदरा व्यापार

उपरोक्त तीन एनआईसी कोड के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) रखने वाले उद्यमों को अब उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर माइग्रेट करने या उद्यम रजिस्ट्रेशन को नए सिरे से फाइल करने की अनुमति है। विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

V. मुद्रा प्रबंधन

कैसेट - एटीएम में बदलना(स्वैप्स)

रिज़र्व बैंक ने 12 जुलाई 2021 को सभी एटीएम में कैसेट बदलने का कार्यान्वयन पूरा करने की समय सीमा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। विभिन्न बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ से प्राप्त हुए अभ्यावेदन, जिसमें इस समय-सीमा में इसे पूरा करने में कठिनाई व्यक्त की गई, को देखते हुए समय-सीमा को बढ़ाया गया। बैंक इसकी प्रगति की निगरानी करेंगे तथा प्रत्येक तिमाही के अंत में बोर्ड / एसीबी के स्तर पर इसमें आवश्यक सुधार करेंगे तथा सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाली तिमाही के अंत में सात दिनों के भीतर इसकी उक्त रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

स्थिति की रिपोर्ट प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, को प्रेषित की जा सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VI. आरबीआई बुलेटिन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2021 को अपना मासिक बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन में तीन आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति:

टीकाकरण में तेजी ने दूसरी लहर के कम करने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सन्निकट संभावनाओं को उज्ज्वल कर दिया है। जहां गतिविधि के कई उच्च आवृत्ति संकेतकों में सुधार हो रहा है, वहीं कुल मांग में ठोस वृद्धि अभी तक आकार नहीं ले पाई है। आपूर्ति पक्ष की ओर मानसून में पुनरुद्धार के साथ कृषि की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन दूसरी लहर से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की बहाली बाधित हो गई है। मुद्रास्फीति में तेजी मुख्य रूप से प्रतिकूल आपूर्ति व्यवधानों और महामारी के कारण क्षेत्र-विशिष्ट

मांग-आपूर्ति में तालमेल खत्म हो गया है। वर्ष के दौरान इन कारकों में सुधार होगा क्योंकि आपूर्ति पक्ष के उपाय प्रभावी होते हैं।

ii) भारत में मौद्रिक नीति संचरण: हाल के घटनाक्रम

अक्टूबर 2019 में एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट (ईबीएलआर) व्यवस्था लागू होने के बाद से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की जमा और उधार दरों में नीतिगत रेपो दर में बदलाव के संचरण में काफी सुधार हुआ है। बैंकों से एकत्र किए गए डेटा से पता चलता है कि बकाया ऋणों का हिस्सा कुल अस्थिर दर वाले ऋण में बाह्य बेंचमार्क से जुड़ा हुआ है, जो सितंबर 2019 के दौरान 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 के अंत तक 28.5 प्रतिशत हो गया है। ऋणों के बाह्य बेंचमार्क-आधारित मूल्य-निर्धारण को अपनाने से जमा दरों में त्वरित समायोजन के लिए बाजार के आवेगों को बल मिला है। इसके अलावा, कमजोर ऋण मांग स्थितियों के बीच अधिशेष चलनिधि स्थितियों के संयोजन ने बैंकों को अपनी जमा दरों को कम करने में सक्षम बनाया है। जमा दरों में कमी के परिणामस्वरूप एससीबी के लिए निधियों की लागत में गिरावट आई है, जिससे उन्हें अपने एमसीएलआर को कम करने और बदले में उनकी उधार दरों को कम करने के लिए प्रेरित किया गया है।

iii) भारतीय दवा उद्योग निर्यात के संचालक

इस आलेख में भारतीय दवा उद्योग की गतिकी को समझने का प्रयास किया गया है क्योंकि यह पिछले दो दशकों में विकसित हुआ है और विशेष रूप से निर्यात बाजारों में निर्यात के निर्धारकों को समझने के उद्देश्य से जांच-पड़ताल की गयी है जो इस क्षेत्र को भविष्य में अपनी निर्यात क्षमता का लाभ उठाने में मदद कर सकते हैं।

VII. आरबीआई के शीर्ष प्रबंधनतंत्र के भाषण

वित्तीय समावेशन - अतीत, वर्तमान और भविष्य

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर ने 15 जुलाई 2021 को इकोनॉमिक टाइम्स वित्तीय समावेशन शिखर सम्मेलन में "वित्तीय समावेशन - अतीत, वर्तमान और भविष्य" का उद्घाटन भाषण दिया। अपने संबोधन में, गवर्नर ने वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत के सफर के पीछे गांधीवादी दर्शन में प्रतिध्वनित: "अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय - कमजोर के उत्थान के माध्यम से सभी का कल्याण" व्यापक सिद्धांत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 'समावेशी' और 'समानता' के मूल उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो गरीबी उन्मूलन से परे हैं और गरीबों, महिलाओं, किसानों, छोटे उद्यमों और अन्य लोगों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर की समानता को शामिल करते हैं। गवर्नर ने वित्तीय समावेशन पर अब तक हुई प्रगति और आगामी राह पर भी बात की। गवर्नर ने उल्लेख किया कि पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के आयामों में इस क्षेत्र में हुई प्रगति का आकलन करते हुए, यह देखा गया है कि भारत ने अंतिम मील तक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने और वित्तीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ाने में एक लंबा सफर तय किया है। अब तक किए गए विकास पर बात करते हुए, उन्होंने प्रौद्योगिकी के विकास और इसे अपनाने पर बात की, जिससे डिजिटल वित्तीय सेवाओं को व्यापक करने और जैम ट्रिनिटी (जन धन, आधार और मोबाइल) के माध्यम से वित्तीय समावेशन के संपूर्ण जगत में एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान देते हुए अर्थव्यवस्था और आबादी के कमजोर वर्गों का समाधान करना; ग्राहकों की क्षमता बढ़ाना; डिजिटल तकनीकों को अपनाना और डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी बात की। पूरा भाषण पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

सीबीडीसी - क्या धन का भविष्य यह है?

श्री टी रबी संकर, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2021 को विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक वेबिनार में 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) - क्या धन का भविष्य यह है' विषय पर मुख्य भाषण दिया। उप गवर्नर ने अपने संबोधन में कहा कि सीबीडीसी का विचार कोई हाल की घटना नहीं है। सीबीडीसी के बारे में बताते हुए कि यह क्या है, उप गवर्नर ने कहा, कि सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी एक वैध मुद्रा है। यह फिएट मुद्रा के समान है और फिएट मुद्रा के साथ आमने- सामने विनिमय योग्य है। केवल उसका रूप भिन्न है। उन्होंने आगे कहा कि सीबीडीसी में रुचि अब लगभग सार्वभौमिक है, बहुत कम देश अपने सीबीडीसी को लॉन्च करने के पायलट चरण तक भी पहुंचे हैं। केंद्रीय बैंकों के 2021 बीआईएस सर्वेक्षण में पाया गया कि 86 प्रतिशत सक्रिय रूप से सीबीडीसी की क्षमता पर शोध कर रहे थे, 60 प्रतिशत प्रौद्योगिकी के साथ प्रयोग कर रहे थे और 14 प्रतिशत पायलट परियोजनाओं को नियोजित कर रहे थे। छोटे मूल्य के लेनदेन (₹500 तक की राशि के साथ) के लिए मुख्य रूप से नकद का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार देश में डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रसार के साथ-साथ नकद उपयोग में निरंतर रुचि, विशेष रूप से छोटे मूल्य के लेनदेन के लिए एक अनूठा परिदृश्य है। विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें। के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 जुलाई 2021 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का 23वां अंक जारी किया, जो वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित समसामयिक मुद्दों के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता के जोखिमों और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है।

एफएसआर की मुख्य बातें:

- सतत नीति समर्थन, सौम्य वित्तीय स्थिति और टीकाकरण की गति एक असमान वैश्विक सुधार का पोषण कर रही है;
- नीतिगत समर्थन ने वैश्विक स्तर पर गैर-निष्पादित ऋण युक्त बैंकों की वित्तीय स्थिति और ऋण-शोधन क्षमता और चलनिधि को मजबूत बनाए रखने में मदद की है;
- घरेलू मोर्चे पर, कोविड-19 की दूसरी लहर की गति ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, लेकिन मौद्रिक, विनियामक और राजकोषीय नीति उपायों ने वित्तीय संस्थाओं के ऋण-शोधन क्षमता जोखिम को कम करने, बाजारों को स्थिर करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद की है;
- मार्च 2021 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) बढ़कर 16.03 प्रतिशत और प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर) 68.86 प्रतिशत हो गया;
- समष्टि दबाव टेस्ट से संकेत मिलता है कि आधारभूत परिदृश्य के तहत एससीबी का सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2021 में 7.48 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2022 तक 9.80 प्रतिशत; और गंभीर दबाव परिदृश्य के तहत 11.22 प्रतिशत तक हो सकता है, हालांकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर, यहां तक कि दबाव में भी पर्याप्त पूंजी है। विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।